कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम

क्रमांक :संस्थापन/कोविड/2021/969 दिनांकः 30/07/2021

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रमांक:प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 दिनांक 18.05.2021 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कमांक संस्थापन/कोविड/2021/1565दिनांक 27.05.2021 एवं कमांक संस्थापन/कोविड /2021 /856 दिनांक 10.07.2021 के द्वारा कोविड हैल्थ सहायक के नियोजन हेतु दैनिक समाचार पत्रिका में विज्ञप्ति किया जाकर ऑन लाईन आवेदन आमन्त्रित किये थे।

कोविड स्वास्थ्य सहायको 2110 पदों क विरूद्ध प्राप्त ऑन लाईन आवेदन पत्रों मे से 4564 जी एन एम एवं 629 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी जो जयपुर जिले के मूल निवासी थे को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमन्त्रित किया जाकर उस में चयन योग्य पाये गये 1854 अभ्यार्थियों को आरक्षण के प्रावधानानुसार अन्तरिम वरियता सूची तैयार की गई है।

1. **दस्तावेज सत्यापन की दिनांक को मूल दस्तावेज प्रस्तुत नही करने वाले अभ्यर्थियो का चयन नही किया गया है।**
2. **दिनांक 15.7.2021 से 22.7.2021 के मध्य सम्बंधित दस्तावेज सत्यापन दिनांक को मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने वाले अभ्यर्थी चयन से अयोग्य माने गये है।**
3. **महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियो को भी कोविड हेल्थ सहायक मे नियोजन हेतु दिनांक 10.7.2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में जीएनएम/बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियो ने आवेदन किया है वो भी चयन से अयोग्य माने गये है।**
4. **उक्त चयन सूची प्रथमतः स्थानीय (मूल निवासी जयपुर जिला) को प्राथमिकता देते हुये जारी की जा रही है।**
5. **दिनांक 27.5.2021 को प्रकाशित विज्ञप्ति के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियो को ही शामिल किया गया है।**
6. **चयन सूची में वरियता का निर्धारण स्थानिय अभ्यर्थियो का शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत + तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर अंतरिम सूची जारी की जा रही है। (चयन सूची में उस शैक्षणिक योग्यता को सम्मलित किया गया है जो कि तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के लिये आधार रही हो)**

नोट :– अन्तरिम चयन सूची के सम्बन्ध में अभ्यर्थीयों को कोई परिवेदना है तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने के आगामी तीन कार्य दिवसो में अपनी परिवेदना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है, उक्त अंतिम दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाली परिवेदना पर कमेटी द्वारा विचार नही किया जायेगा। परिवेदना प्राप्त नही होने पर अन्तरिम वरियता सूची को ही अन्तीम चयन सूची मान लिया जावेगा, **परिवेदना प्रस्तुत करते समय प्रार्थना पत्र में दस्तावेज सत्यपान कमाक का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे साथ ही समुचित दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे ।**

संलग्न अन्तरिम वरियता सूची ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर प्रथम

क्रमांक : संस्थापन/कोविड/2021/969 दिनांकः 30/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर ।
3. निदेशक, (जनस्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर ।
4. जिला कलक्टर जिला जयपुर को के अनुमोदनाउपरान्त ।
5. अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जिला जयपुर ।
6. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) जयपुर द्वितीय
7. रक्षित पत्रावली ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जयपुर प्रथम

Scanned with CamScanner